C/N. - 95/2020

20/10/23 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 111/128 भू-राज. अधि. 1956 का स्वीकार किया जाता है, निर्णय पृथक से पत्रावली में शा. मि. रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर पत्रावली नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 95/2020

1. बिदाम देवी पत्नि स्व0 भागीरथ
2. भंवरी देवी पुत्री स्व0 भागीरथ
3. कमला देवी पुत्री स्व0 भागीरथ
4. नाथूलाल पुत्र स्व0 भागीरथ
5. बिरदीचन्द पुत्र स्व0 भागीरथ
6. मोतीलाल पुत्र स्व0 भागीरथ

सर्व जाति जाट सर्व निवासीगण ग्राम गोदियाना तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र कल्याण
2. हगामा पुत्र कल्याण
3. रामेश्वर पुत्र कल्याण
4. प्रभुलाल पुत्र कल्याण
5. जेठी पत्नि कल्याण
6. किशनलाल पुत्र स्व0 सूजा
7. श्रवणलाल पुत्र स्व0 सूजा
8. नारायण पुत्र स्व0 सूजा

सर्व जाति जाट सर्व निवासीगण ग्राम गोदियाना तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

9. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

अप्रार्थीगण

<u>निर्णय प्रार्थना पत्र 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम, 1956</u>

दिनांकः 20/10/2023

उपस्थितः डॉ. रामदेव गुर्जर — प्रार्थीगण अभिभाषक

श्री गोविन्ददास पुरोहित — अप्रार्थी सं0 1 से 5 अभिभाषक

<u>निर्णय</u>

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री डॉ. रामदेव गुर्जर के माध्यम से अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

2.1 प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में दावा किया है कि प्रार्थीगण की संयुक्त सह–खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी वर्तमान ख0नं0 234/43 रकबा 07–14–00 भूमि ग्राम गोदियाना पटवार क्षेत्र उदयपुरखुर्द तहसील किशनगढ़ जिला

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

अजमेर में अवस्थित है। जिसके उत्तर दिशा में गोदियाना से टिकावड़ा रोड़, दक्षिण दिशा में अप्रार्थी सं0 6 से 8 की भूमि ख0नं0 48, 49, 235/48, पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 5 की भूमि ख0नं0 394/43 एवं पश्चिम दिशा में अप्रार्थी सं0 1 से 4 की भूमि ख0नं0 395/43 स्थित है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर कृषि कार्य करते आ रहे है एवं अपनी आराजी में पक्का मकान बनाकर सतत् रूप से रहवास/अधिवास करते आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 आये दिन सींव (सीमा) को लेकर विवाद करते रहते है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 एवं परिवारजन प्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि की सींव उखाड़ने पर आमादा हो जाते है एवं प्रार्थीगण की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थीगण काफी परेशान है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण को हटवाने हेतु दिनांक 20.06.2019 को एक प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 9 के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपार्ट पर्चा दिनांक 17.06.2019 को तैयार की गयी। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 एवं उनके परिवारजन के द्वारा सीमा चिन्ह (मेड़) को हटाते हुए प्रार्थीगण की सह–खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी में ब्लात अतिचार करने पर आमादा हो जाते है, जिससे प्रार्थीगण की आराजी में पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है। जिससे सीमाओं का विवाद समाप्त हो सकता है एवं सीमाओं को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो इस कारण से न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा सद्भाविक रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 आपस में पड़ौसी खातेदार है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 व उनके परिवारजन बिजाई, बुवाई के दिनो में प्रार्थीगण की सींव, मेड़ को उखाड़ने पर आमादा हो जाते है एवं प्रार्थीगण की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर उतारू है। जिससे प्रार्थीगण व प्रार्थीगण का परिवार काफी परेशान है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण दिनांक 15.06.2020 को तक उत्पन्न हुआ जब अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की नींव, सींव, मेड़ को लेकर विवाद करने लग गये एवं विवाद उत्पन्न होने से प्रार्थीगण द्वारा पटवारी हल्का से दिनांक 16.06.2020 को जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करके अधिवक्ता से सम्पर्क कर उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। तब से प्रार्थना पत्र कारण निरन्तर जारी है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है तब से कारण निरन्तर जारी है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम गोदियाना पटवार क्षेत्र उदयपुरखुर्द तहसील किशनगढ़ स्थित अपनी सह–खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी वर्तमान ख0नं0 234/34 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

07–14–00 भूमि की नजरी नक्शा/राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढ़ी करने के आदेश प्रार्थीगण के पक्ष में प्रदान करने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 8 के बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा अप्रार्थी सं0 1 लगायत 5 एवं 9 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

3.1 अप्रार्थी सं0 1 लगायत 5 की ओर से वकील श्री गोविन्ददास पुरोहित द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित ख0नं0 234/43 की भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि है। प्रार्थना पत्र में वर्णित ख0नं0 234/43 की सीमा गलत रूप से अंकित की गई है, वास्तविक रूप से ख0नं0 234/43 के पूर्व दिशा में ख0नं0 442/45 की भूमि, पश्चिम दिशा में ख0नं0 395/43 की भूमि (अप्रार्थी सं0 1 से 5 की भूमि), उत्तर दिशा में ख0नं0 394/43 की भूमि (अप्रार्थी सं0 1 से 5) व आगे टिकावड़ा गोदियाना रोड़ तथा दक्षिण दिशा में ख0नं0 235/48 की भूमि स्थित है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 से 5 अपने–अपने हिस्से की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि पर अर्से दराज से काबिज है तथा कल्याण व भागीरथ के जीवनकाल से ही ख0नं0 234/43, 394/43 की भूमि पर परस्पर सहमती से विभाजन हो रखा है एवं उभय पक्ष की खातेदारी के मध्य मौके पर तारबन्दी हो रखी है। अप्रार्थी सं0 1 से 5 ने अपनी भूमि परं नजरी नक्शे में दर्शित एक्स, स्थान पर ट्यूबवेल खोद रखा है। प्रार्थीगण के ख0नं0 234/43 की भूमि पर प्रार्थीगण का आवासीय मकान बना हुआ है जिसमें आने–जाने का रास्ता (ए.बी.सी.डी.) कल्याण व भागीरथ के जीवनकाल से ही अप्रार्थी सं0 1 से 5 की ख0नं0 395/43 की भूमि में अवस्थित है। प्रार्थीगण उक्त ए.बी.सी.डी. रास्ते से आकर अपनी कृषि भूमि को काश्त कर रहे है तथा आवासीय मकान में निवास कर रहे है। अप्रार्थी सं0 1 से 5 ने कब्जे काश्त की सींव (सीमा) बाबत् विवाद नहीं किया है। प्रार्थीगण की नियत में फर्क आ जाने के कारण उन्होने मिथ्या व आधारहीन तथ्य अंकित किये है। अप्रार्थी सं0 1 से 5 ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अप्रार्थी सं0 1 से 5 अपने कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि पर काबिज है तथा अपनी कृषि भूमि पर पक्के आवासीय मकान व बाड़ा (पशुओं हेतु) का उपयोग उपभोग कर रहे है जिसमें हस्तक्षेप करने का प्रार्थीगण को कानूनन् अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र दिनांक 20.06.2019 से पूर्व पटवार हल्का द्वारा दिनांक 17.06.2019 को मौका रिपोर्ट तैयार करना सन्देह प्रकट करता है तथा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

सन्देह के आधार पर प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 से 8 की भूमि पास–पास अवस्थित है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 लगायत 5 ने अपने कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि की सुरक्षा हेतु तारबन्दी मौके पर कर रखी है जिसको हटाने हेतु प्रार्थीगण निरन्तर प्रयत्नशील है। अप्रार्थी सं0 1 से 5 द्वारा विरोध करने पर उन्हे जान से मारने की धमकी दी जाती रही है। प्रार्थीगण ख0नं0 234/43 के संबंध में धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पत्थरगढ़ी करवाने के कानूनन अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा निरस्त किये जाने योग्य है।

3.2 अप्रार्थी सं0 9 पेरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम गोदियाना के आराजी ख0नं0 234/43 रकबा 1.2459 हैक्टेयर भूमि कमला, भंवरी देवी पुत्री भागीरथ हि0 1/3, बदाम पत्नि भागीरथ हि0 1/6, नाथूलाल, बिरदीचन्द, मोतीलाल पि0 भागीरथ हि0 1/2 कौम जाट सा0 देह के नाम दर्ज है।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 एवं उनके परिवारजन के द्वारा सीमा चिन्ह (मेड़) को हटाते हुए प्रार्थीगण की सह–खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी में ब्लात अतिचार करने पर आमादा हो जाते है, जिससे प्रार्थीगण की आराजी में पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है। जिससे सीमाओं का विवाद समाप्त हो सकता है एवं सीमाओं को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो इस कारण से न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा सद्भाविक रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम गोदियाना पटवार क्षेत्र उदयपुरखुर्द तहसील किशनगढ़ स्थित अपनी सह–खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी वर्तमान ख0नं0 234/34 रकबा 07–14–00 भूमि की नजरी नक्शा/राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढ़ी करने के आदेश प्रार्थीगण के पक्ष में प्रदान करने का निवेदन किया।

4.2 वकील अप्रार्थी सं0 1 से 5 द्वारा अपनी बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 से 5 अपने–अपने हिस्से की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि पर अर्से दराज से काबिज है तथा कल्याण व भागीरथ के जीवनकाल से ही ख0नं0 234/43, 394/43 की भूमि पर परस्पर सहमती से विभाजन हो रखा है एवं उभय पक्ष की खातेदारी के मध्य मौके पर तारबन्दी हो रखी है। अप्रार्थी सं0 1 से 5 ने अपनी भूमि पर नजरी नक्शे में दर्शित अक्स, स्थान पर ट्यूबवेल खोद रखा है। प्रार्थीगण की ख0नं0 234/43 की

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

भूमि पर प्रार्थीगण का आवासीय मकान बना हुआ है जिसमें आने–जाने का रास्ता (ए. बी.सी.डी.) कल्याण व भागीरथ के जीवनकाल से ही अप्रार्थी सं0 1 से 5 की ख0नं0 395/43 की भूमि में अवस्थित है। प्रार्थीगण उक्त ए.बी.सी.डी. रास्ते से आकर अपनी कृषि भूमि को काश्त कर रहे है तथा आवासीय मकान में निवास कर रहे है। अप्रार्थी सं0 1 से 5 ने कब्जे काश्त की सींव (सीमा) बाबत् विवाद नहीं किया है। प्रार्थीगण ख0नं0 234/43 के संबंध में धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पत्थरगढ़ी करवाने के कानूनन अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा निरस्त किये जाने योग्य है।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। ग्राम गोदियाना तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित कृषि भूमि ख0नं0 234/43 रकबा 07–14–00 यानि भूमि प्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि है। सलंग्न राजस्व मानचित्र नक्शा में ख0नं0 234/43 रकबा 07–14–00 का स्पष्ट अंकन है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचन एवं उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को 2000/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर ग्राम गोदियाना तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि ख0नं0 234/43 रकबा 07–14–00 भूमि का राजस्व मानचित्र/जमाबन्दी में वर्णित क्षेत्रफल अनुसार सम्बन्धित पक्षकार कि उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा कराने पर पालना हेतु तहरीर जारी होवे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 20.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)